‘सचिन पायलट कांग्रेस में एसेट, गांधी परिवार के अलावा पायलट ही भीड़ जुटा सकते हैं’

खिलाड़ी लाल बैरवा ने यह भी कहा कि जैसा पायलट का कद है, उस हिसाब से सम्मान मिलना चाहिये

जयपुर, (का.प्र.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई माधोपुर में कहा था कि दानिश अबरार हमें पल-पल की खबर देता था, जिसकी वजह से हमारी सरकार बच गई। ऐसे में दानिश अबरार को लेकर सचिन पायलट समर्थकों ने जयचंद की संज्ञा दे दी थी। अब अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि एक जिक्र चला था कि जयचंद और रायचंद कौन-कौन हैं। मुख्यमंत्री ने तो सवाईमाधोपुर में यह क्लीयर कर दिया। जयचंद और रायचंद क्या होते हैं। हमें ये पीड़ा जरूर हुई है कि जो तीन लोग जयचंद थे। उन लोगों ने पल-पल की खबर दी। वो आज सरकार में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए।

सरकार को लेकर कई बार नाराजगी जता चुके राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने एक बार फिर गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 102 लोग जो 35-35 दिन तक तीन बार सरकार के साथ रहे। उनके दिलों में चोट पहुंची है। हमने शायद सरकार को बचाने में जो मेहनत की है, वो गलत की है।

विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि 102 लोग जो 35-35 दिन तक सरकार के साथ रहे। उनके दिलों में चोट पहुंची है। हमने शायद सरकार को बचाने में जो मेहनत की है, वो गलत की है। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष ने कहा कि सवाईमाधोपुर में मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से बता दिया कि सरकार पर राजनीतिक संकट के वक्त विधायक दानिश अबरार ने पल-पल की सूचनाएं दीं। दुनिया देख रही, सब पूछते हैं मुख्यमंत्री के बयान से दानिश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ।

- **खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि 102 लोग जो 35-35 दिन तक सरकार के साथ रहे, उनके दिलों में चोट पहुंची है, हमने शायद सरकार को बचाने में जो मेहनत की है, वो गलत की है**

बैरवा ने कहा कि बोले पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। अब लौटाने का टाइम है, वाली बातों को कहने की बात अलग करने की बात अलग। बैरवा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को कांग्रेस में एसेट बताते हुए कहा कि लोग कहते हैं कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा सचिन पायलट ही भीड़ जुटा सकते हैं। जैसा उनका कद है। उस हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री पद के लिए पायलट दावेदारी को लेकर खिलाड़ी लाल बोले कि ये जनता की आवाज है।

पुष्कर जूता कांड पर पूछने पर खिलाड़ी लाल ने कहा कि ये जाति और लीडरशिप का झगड़ा है। गुर्जर ही तय करेंगे कि उनका लीडर कौन है। वहीं, अशोक चांदना के ट्वीट पर बोले कि यहां किसने किसे रोका है, जिसको जो करना है करे, सब आजाद हैं क्या दिक्कत आ रही है।

इसी के साथ खिलाड़ीलाल बैरवा ने अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को लेकर कहा कि ये मांग मुख्यमंत्री और सरकार से की है। साथ ही जालोर के स्कूली छात्र इंद्र मेघवाल कांड को लेकर कहा कि उसमें भी लोगों की भावनाएं जुड़ी है। लोगों ने कितने ज्ञापन दिए हैं। मैं सरकार और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ये केवल एक सम्मान की बात है। आगे कुछ करना मत करना।

पंच खंड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेन्द्र का निधन

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने आचार्य धर्मेंद्र के टोंक रोड स्थित निवास पर पुष्प अर्पित किए।

जयपुर। अयोध्या में भगवान राम लला के मंदिर के लिए लंबे समय तक आंदोलन करने वाले विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में शामिल रहे पंच खंड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेन्द्र का सोमवार सुबह निधन हो गया। वे करीब 80 साल के थे। वे लंबे समय से सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन से धार्मिक जगत में शोक की लहर छा गई। टोंक रोड स्थित निवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रज किशोर शर्मा, सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा, महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम भारती सहित कई लोगों ने पार्थिव देह पर शॉल और पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया। आचार्य धर्मेन्द्र की पार्थिव देह का मंगलवार प्रातः 11 बजे विराटनगर में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान सीएम के साथ कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। धारीवाल की तबीयत पिछले कुछ दिनों से नासाज थी। कुछ समय पहले दिल्ली में कांग्रेस की रैली के लिए जब धारीवाल पहुंचे थे। तब होटल के बाथरूम में पैर फिसलने से धारीवाल की पसली में चोट आ गई। इस चोट के चलते चिकित्सक ने मंत्री धारीवाल को पूरी तरह आराम करने की सलाह भी दी है।

भाजपा का विधानसभा घेराव आज

जयपुर। प्रदेश में लंपी स्किन रोग के बढ़ते संक्रमण से 50 हजार गोवंश काल का ग्रास बन चुके हैं। वहीं संक्रमित गोवंश की संख्या लाखों में है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार इस संक्रमण की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, जिसकी वजह से गोवंश तड़प-तड़पकर मर रहा है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ मंगलवार को भाजपा विधानसभा का घेराव करेगी। भाजपा कार्यकर्ता पहले भाजपा मुख्यालय पर एकत्रित होकर पैदल मार्च करेगे।

उधर जयपुर में भाजपा पार्षदों ने सरकार पर अकर्मण्यता का आरोप लगाते हुए संक्रमित गौमाता के लिए क्वारेंटाइन सेंटर स्थापित करना शुरू कर दिए हैं। भाजपा विधानसभा के बाहर अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। क्योंकि इस बार कई विधायकों ने लंपी स्किन डिजीज से जुड़े सवाल तो लगाए हैं, लेकिन सदन में उनमें से कुछ को ही इस मुद्दे पर सरकार से सवाल करने का मौका मिलेगा। ऐसे में भाजपा ने सदन के बाहर ही सड़कों पर सरकार को इस मामले में घेरने की रणनीति बनाई है।

प्रदेश में केवल 87 नए करोना संक्रमित मिले सोमवार को

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में सोमवार को करोना संक्रमितों की संख्या सौ से भी कम रही है। इस दौरान केवल 87 नए मरीज मिले हैं। हालांकि इस बीच करोना से हनुमानगढ़ में एक संक्रमित की मौत हो गई है। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में 122 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर साढ़े ग्यारह सौ के करीब आ गए हैं।

प्रदेश में सोमवार को 16 जिलों में 87 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 115 रोगी पाए गए थे। राज्य में आज नए संक्रमितों की संख्या में कमी आने का कारण जांचें कम होना माना जा रहा है। इधर राजधानी जयपुर में आज थोड़ी गिरावट के बाद 24 नए मरीज मिले हैं।

- **पिछले 24 घंटों में हनुमानगढ़ में एक संक्रमित की मौत हुई**

इसके अलावा जालोर में 11, अजमेर में 8, प्रतापगढ़ व सिरोही में 7-7, राजसमंद में 6, जोधपुर व बांसवाड़ा में 5-5, उदयपुर व बूंदी में 3-3, दौसा व करौली में 2-2 तथा अलवर, भरतपुर, कोटा तथा सवाई माधोपुर में एक-एक नया मरीज मिला है। इस बीच राज्य में 2173 सैम्पल लिए गए।

राज्य में सोमवार को 122 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में लगातार रिकवरी बढ़ने से एक्टिव केस घटकर 1157 रह गए हैं। जयपुर में आज 35 मरीजों के रिकवर होने से 258 एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं जोधपुर में 122 मरीजों का इलाज चल रहा है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में फिर करोना से मौत हुई है। इस दौरान हनुमानगढ़ में एक संक्रमित की मौत हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9634 लोगों की मौत हो चुकी है।

जयपुर में सोमवार को 12 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8 नए मरीज मानसरोवर में पाए गए हैं। इसके अलावा जगतपुरा में 3, अजमेर रोड, गांधी नगर, जवाहर नगर व वैशाली नगर में 2-2 तथा बस्सी, घाटगेट, झोटवाड़ा, खातीपुरा और सांगानेर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे चल रहा है

एक अपील जारी हुई, राहुल गांधी के नजदीक माने जा रहे लोगों की ओर से

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे चल रहा है। हालांकि खुद गहलोत कई बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वह इस पद पर जाने के इच्छुक नहीं हैं। वहीं कई बार बयान देते हैं कि आलाकमान कहेगा तो वे इस पद पर जाने को तैयार हैं। दूसरी और कहा जा रहा है कि अध्यक्ष बनने के साथ में मुख्यमंत्री भी रहना चाहते हैं लेकिन एक ऐसी अपील प्रदेश कांग्रेस सदस्यों के पास आई है जिसमें उदयपुर डिक्लेरेशन को लेकर बातें कही गई है और पीसीसी सदस्यों से उस अपील के जरिए अपना पक्ष रखने की बात कही गई है यदि यह अपील सही रूप में लागू होती है तो फिर कांग्रेस में ना सिर्फ अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर मजबूर होंगे बल्कि दो या तीन बार चुनाव हारने वाले ही नहीं बल्कि तीन बार लगातार चुनाव जीतने वालों को भी टिकट का संकट हो सकता है।

राहुल गांधी के नजदीकी माने जाने वाले लोगों की ओर से एक अपील जारी हुई। अपील जारी करने वालों में राजू, ज्योति मणि, प्रवीण चक्रवर्ती, प्रकाश जोशी, हर्षवर्धन सपकाल, सचिन राव, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन और जसवंत गुर्जर शामिल हैं।

- **अपील जारी करने वालों में प्रमुख हैं राजू, ज्योति मणि, प्रवीण चक्रवर्ती, प्रकाश जोशी, हर्षवर्धन सपकाल, सचिन राव, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन और जसवंत गुर्जर**
- **इस अपील में यह लिखा गया है कि जो चार निर्णय उदयपुर संकल्प शिविर में लिए गए, उनमें 50 से कम उम्र के 50 प्रतिशत लोगों को संगठनात्मक पदों पर रखना, सांसदों, विधायकों के लिए दो या तीन कार्यकाल और पार्टी पदों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित करके अधिक लोगों को अवसर देना, एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत अपनाना और एक परिवार में एक टिकट दिए जाने के संकल्प को नए बनने वाले अध्यक्ष अपनाएं**

कांग्रेस संगठन चुनाव की तैयारी के बीच कई लोग कहते है कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाल सकते हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी के नजदीकी लोगों की ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी पीसीसी मेंबर्स को एक मैसेज और पोल भेजा गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के आगामी में चुनाव में हम प्रत्येक उम्मीदवार से यह अपील करते हैं कि वह पद ग्रहण करने के पहले 100 दिनों के भीतर उदयपुर संकल्प और भावना को लागू करने का संकल्प लें।

इस अपील में यह लिखा गया है कि जो चार निर्णय उदयपुर संकल्प शिविर में लिए गए, उनमें 50 से कम उम्र के 50 प्रतिशत लोगों को संगठनात्मक पदों पर रखना, सांसदों, विधायकों के लिए दो या तीन कार्यकाल और पार्टी पदों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित करके अधिक लोगों को अवसर देना, एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत अपनाना और एक परिवार में एक टिकट दिए जाने के संकल्प को नए बनने वाले अध्यक्ष अपनाएं। अब जब सभी पद लेने वाले नेताओं से यह अपील कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष में यह फॉर्मूला फेल कैसे हो सकता है। ऐसे में अब यह संभावना कम है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे।

जो पोल पीसीसी मेंबर से करवाया जा रहा है, उसमें पार्टी ने पार्टी के संगठन के पदों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित करते हुए ज्यादा लोगों को अवसर देने की बात तो कही है। इसके साथ ही यह भी लिखा है कि सांसदों विधायकों और एमएलसी के लिए दो या तीन कार्यकाल का समय निर्धारित किया जाए। मतलब साफ है की अब लगातार दो या तीन बार से चुनाव हारने वाले नेताओं का तो टिकट खतरे में है ही, इसके साथ ही नए लोगों को मौका देने के लिए लगातार दो या तीन बार से ज्यादा चुनाव जीत रहे विधायकों सांसदों और एमएलसी का भी टिकट खतरे में है।

सैनी समाज के 81 आरोपियों को जमानत नहीं मिली

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-3 महानगर द्वितीय ने हाईवे जाम कर उपद्रव मचाने और तोड़फोड़ करने के साथ ही राजकार्य में बाधा के मामले में गिरफ्तार सैनी समाज के 81 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में प्रार्थियों को फंसाया जा रहा है। उनकी ओर से समाज को आरक्षण देने सहित अन्य मांगों को लेकर सभा की गई थी। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने सभा के बाद हाईवे जाम कर दिया और तोड़फोड़ करने के साथ ही राजकार्य में बाधा भी पहुंचाई। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

तीये की बैठक

हमारे प्रिय **श्री कृष्ण देव जी गर्ग** का 18/9/22 को स्वर्गवास हो गया है। तीये की बैठक 20/9/22 को सांय 4 से 5 बजे तक दिगंबर जैन मंदिर, सत्कार शॉपिंग सेंटर के पास, मालवीय नगर पर होगी।

शोकाकुलः सुषमा गर्ग (धर्मपत्नी), कल्पना- डॉ. कपिल (J.K. Lon Hospital), नीतू- अजय (JDA) (पुत्र- पुत्रवधु), अनिता- राजीव (पुत्री-दामाद), काजल- रौनक, ट्विंकल- पाहुन (पौत्री- पौत्री दामाद), आदित्य, देवांश (पौत्र), समीर, शिल्पा (दोहिता-दोहिती), निर्मल- राजदेव गर्ग (भ्रातावधू- भ्राता), इंद्रदेव गर्ग (भ्राता), संतोष गर्ग (भ्रातावधू), सरला अग्रवाल (बहिन), राजीव, दीपक, राहुल, अजय (भतीजे) निवास- 5-झ-22, जवाहर नगर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक- 7691 **जाहिर आम सूचना** दि. 19.09.2022
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में दुकान संख्या-29, (एरिया 22.50 वर्गमीटर), का आवंटन श्री विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री आर. पी. शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1513 दिनांक 09.01.1995 के द्वारा जारी किया गया था। श्रीमती रजनी बस्सी पत्नी स्व. श्री राकेश कमार बस्सी के पक्ष में उक्त दुकान का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 2637/1525 दिनांक 19.06.2018 के द्वारा किया गया। फ्लैट संख्या-EWS/KA/58/15, (कृष्णा अपार्टमेन्ट) (एरिया 10.977 वर्गमीटर), के मूल आवंटी श्री राकेश कुमार बस्सी पुत्र श्री हरीराम बस्सी की मृत्यु दिनांक 13.05.2014 को होने पर श्रीमती रजनी बस्सी के आवेदन करने पर कार्यालय आदेश क्रमांक 1751 दिनाक 20.01.2015 के द्वारा मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज कर आवंटन पत्र क्रमांक 1762 दिनाक 22.01.2015 के द्वारा जारी किया गया था। श्रीमती रजनी बस्सी के पक्ष में उक्त फ्लैट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 14.05.2015 को उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। आवास संख्या-51/344, (MIG-A), (एरिया 90.00 वर्गमीटर), का आवंटन श्री पन्ना लाल पुत्र श्री खुशालचन्द को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1535 दिनांक 18.12.1991 के द्वारा जारी किया गया था। श्रीमती रजनी बस्सी पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार बस्सी के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1054 दिनांक 06.09.2001 के द्वारा किया गया। श्रीमती रजनी बस्सी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 23.08.2004 को उप पंजीयक सांगानेर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती रजनी बस्सी की मृत्यु दिनांक 06.04.2021 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री चन्दन कुमार बस्सी पुत्र स्व. श्री राकेश कुमार बस्सी द्वारा उक्त तीनों सम्पतियों को अपने स्वंय के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त तीनों सम्पतियों के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री चन्दन कुमार बस्सी पुत्र स्व. श्री राकेश कुमार बस्सी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। **भवदीय**
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

खोया पाया

मेरे आवास संस्था 194/438 का मूल अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 277/1316 दिनांक 26/06/08 कहीं गिर गये है सूचित करे। 9314519875

मेरे आवास 62/179, रजत पथ, मानसरोवर जयपुर के मूल दस्तावेज आलोटमेंट लैटर एवं बकाया राशी मांग पत्र मानसरोवर में कहीं खो गए हैं उक्त आवास रूप चंद पुत्र श्री कोडूमल के नाम से है कृपया मिलने पर सूचित करें 8209375524

पटेल नगर गृ.नि.सह.समिति जयपुर की योजना विष्णुपुरी-बी के भूखंड संख्या 1-बी का रजिस्टर्ड हकत्याग खो गया है संपर्क करें-आर्यन माथुर, मो. 9309404445

मेरा राजस्थान फार्मेसी कांउसिल द्वारा जारी पंजीयन संख्या 10051 जारी दिनांक 02.01.1991 कही गुम गया है। जो इस समय किसी फर्म पर योग्य व्यक्ति के रूप में दर्ज नही है। मिलने पर उक्त पते पर पहुचाने का श्रम करें मानवेन्द्र शर्मा A-39, शास्त्री नगर, जयपुर 8386007030

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
क्रमांक: एफ-13 () उपा. आयो-II/ननिज/2022/1205 दिनांक 19.09.2022
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मधुसूदन यादव पुत्र स्व. श्री मोहन लाल यादव प्लॉट संख्या 119, जनकपुरी प्रथम इमली फाटक (दी राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), रजिस्टर्ड पट्टा विलेख मय साइट प्लान की फोटोप्रति, नाम हस्तान्तरण की फोटोप्रति के आधार पर भूखण्ड संख्या 119, जनकपुरी प्रथम इमली फाटक (दी राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर क्षेत्रफल 268.88 वर्गगज का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा चाहा है, आवेदक को जविप्रा द्वारा जारी पट्टा कहीं गुम हो गया है, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट पुलिस थाना ज्योति नगर दक्षिण में दर्ज है। आवेदक ने फोटोप्रतियों के आधार पर उक्त भूखण्ड का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु नगर निगम ग्रेटर जयपुर कार्यालय में आवेदन किया है। उक्त के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था/ हितबद्ध व्यक्ति/ फर्म, कम्पनी व अन्य को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त (आयोजना द्वितीय), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विनीत कुमार था अब मैंने बदलकर विनीत कुमार शर्मा पुत्र रमेश कुमार शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे विनीत कुमार शर्मा के नाम से जाना जावे। पता-डी-23 देवनगर टोंक रोड, जयपुर

मैंने अपना नाम धर्मपाल सिंह से बदलकर धर्मपाल पुत्र श्री नेणाराम रख लिया है। भविष्य में मुझे धर्मपाल के नाम से जाना पहचाना जावे गांव- हमीरवास, तहसील-सिघांना, जिला- झुन्झुंनू

I have changed my name from Jamil Ahmed to Jameel Ahmed In future 4083 Jagannath Shah Ka Rasta, Ram Chandar Ji Ki Chowkri, Jaipur

I Shree Ram S/o Prabhudayal residing at Akbarpur, Alwar, Rajasthan-301001. Do hare by solemnly affirm and state that I have changed my name from Shree Ram Luhar to Shree Ram. In future, I will be known and called by my changed name.

I Jitesh S/o Shree Ram residing at Plot No. 318-C, Murtikala Udhyog Nagar, Sinwar Mode, Bindayaka,, Jaipur, Rajasthan-302012. Do hare by solemnly affirm and state that I have changed my name from Jitesh Luhar to Jitesh. In future, I will be known and called by my changed name.

I Ramdev Saran S/o Kanwara Ram R/o PN No-27, KH No-356/2, Opp. Rajasthan Hospital, Banar Road, Nandri (rural), Jodhpur, Rajasthan-342027, have changed my name to Ram Dev

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य श्री रविन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री रामसुरेश सिंह जाति राजपुत, निवासी-प्लाट नम्बर-75, जगदीश कॉलोनी, कुण्ड रोड, जयसिंहपुरा खोर, आमेर, जयपुर-राजस्थान का है मेरे अभिभाष्य की पुत्री अर्पणा सिंह मेरे अभिभाष्य के कहने में नही है तथा उसका आचरण व व्यवहार मेरे अभिभाष्य के विपरीत है। इसलिये मेरा अभिभाष्य अपनी स्वामित्व की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के अधिकार से उसे बेदखल करता है। मेरे अभिभाष्य का अब उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। कोई भी व्यक्ति मेर अभिभाष्य की उक्त पुत्री अर्पणा सिंह से कोई लेन देन एवं सम्बन्ध रखता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
(बसन्त कुन्तल) एडवोकेट, मो.नं.-9929387758

Notice
TCI Express Limited
L62200TG2008PLC061781
Regd. Office: Flat No. 306- 307, 1-8-273, 3rd Floor, Ashoka Bhoopal Chambers S.P. Road, Secunderabad-500003 (Telangana)Ph: 040-27840104, Email: secretarial@tciexpress.in
Notice is hereby given that the Certificate (s) for the Under mentioned equity Shares of the Company "TCI Express Limited" have been lost/ misplaced and the holder (s) of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate share certificate (s).
Any Person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the company at its Registered Office within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate (s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

Name of the holder	Folio No.
Pramila Sanghvi	TEL0021244
Certificate no 21244	Distinctive Nos. From 35911573 To 35912159

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor,Sudharma-II,Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015
Case No.:OA/840/2022 Exh. No:6281
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules,1993.
Punjab And Sind Bank
To, **V/S Smt Shimala**
(1) Smt Shimala D/W/S/O- Shri Jay Narayan Jat Flat No. 108, 3rd Floor, Plot No545, 9East Part Portion of Plot 545) Patrakar Colony, Village Dholai Sanganer Jaipur Rajasthan-302020
(2) Shri Jay Narayan Jat S/o Shri Radhakishan Hari Rampura Chittora Renwal Jaipur, Rajasthan - 303904
SUMMONS
WHEREAS, OA/840/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 29/08/2022.WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed againts you for recovery of debts of Rs. 2883435/- (application along with copies of documents etc. annexed) In accordance with sub-section (4) of section19 of the Act, You the defendants are directed as under:- (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted: (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application: (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties: (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the tribunal: (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial intuitions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 21/12/2022 at 10:30 A.M failing which the application shall be heard and decided in your absence. Give under my hand and seal of this Tribunal on this date:05/09/2022
(Seal) Registrar DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
क्रमांकः-DHC-II/ 1452 **जाहिर आम सूचना** दि. 24.08.2022
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 71/112, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री विरेन्द्र कुमार मित्रा पुत्र श्री राम कृष्ण मित्रा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1083 दिनांक 15.06.1996 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 05.12.1996 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1726 दिनांक 14.07.2005 के द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार मित्रा पुत्र श्री राम कृष्ण मित्रा के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। तत्पश्चात श्री विरेन्द्र कुमार मित्रा की मृत्यु दिनांक 27.04.2021 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती कमला मित्रा पत्नी स्व. श्री विरेन्द्र कुमार मित्रा ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती कमला मित्रा पत्नी स्व. श्री विरेन्द्र कुमार मित्रा के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/ आवेदक श्रीमती कमला मित्रा पत्नी स्व. श्री विरेन्द्र कुमार मित्रा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। **भवदीय**
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR
DEPARTMENT OF BOTANY
SHORT TERM TENDER NOTICE
Electronic Online Technical and Financial Bids are invited up to 10.10.2022 at 5.00 PM for Purchase of Scientific lab Equipments, Chemicals and glasswares & Desktop computers, laptop and Printers under RUSA Programme 2.0. Details may be seen in the Bidding Document available at the website of http://eproc.rajasthan.gov.in or the State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in or our website www.uniraj.ac.in of the University of Rajasthan, Jaipur. The bidding document may be downloaded from there. **UBN : URA2223GLOB00089, 90, 91, NIB : URA2223A0033.**
Prof. Rekha Vijayvergia
Head, Principal Investigator